न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 129/2014
रज्जु दिनांक : 08/12/2014
निर्णय दिनांक : 30/10/19

सुरज्ञान पुत्र सुखा, जाति रैगर, निवासी खेड़ा तन मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

-- प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दूदू जिला जयपुर राज0।

-- अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0)

उपस्थिति – श्री गिरधारीलाल वर्मा
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 30/10/19

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थी बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 832/1 मि. रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1469, 1475 कुल किता 02 कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम ममाणा तहसील दूदू जिला जयपुर में स्थित हैं। उक्त साबिक खसरा नम्बर 832/1 रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में से 02 बीघा 08 बिस्वा भूमि का प्रार्थी को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन दिनांक 15.06.2002 विधिवत तौर पर आवंटन हुई थी, तभी से प्रार्थी अब तक उक्त आराजीयात पर बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा हैं। उक्त आवंटन दिनांक 15/06/2002 के पश्चात प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर शांन्तिपूर्वक निर्बाध रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध एंव सरोकार नहीं हैं। उक्त आवंटन के आधार पर प्रार्थी के हक में नामान्तरकरण संख्या 1647 दिनांक 27/07/2002 को गैरखातेदारी भी दर्ज कर दी गयी हैं। प्रार्थी ने उक्त आवंटन दिनांक 15/06/2002 व गैरखातेदारी नामान्तरकरण संख्या 1647 के आधार पर अपने हक में खातेदारी का नामान्तरकरण खुलवाने बाबत पटवारी हल्का को अलॉटमेन्ट की

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

कॉपी दी तथा यहीं विश्वास में रहा कि प्रार्थी के नाम उक्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज कर दिया गया होगा। प्रार्थी ने अभी हाल ही दिनांक 17/07/2014 को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु राजस्व अभिलेखों की नकल लेने गया तो ज्ञात हुआ कि राजस्व अभिलेखों में मुताबिक आवंटन दिनांक 15/06/2002 के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1647 दिनांक 27/07/2002 को दर्ज कर दिया गया है, लेकिन खातेदारी का इन्द्राज दर्ज नही किया है, जिस पर प्रार्थी ने तहसीलदार दूदू के यहां गैरखातेदारी से खातेदारी दर्ज करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया तथा उक्त आराजी का खातेदारी का नामान्तरकरण प्रार्थी के हक में खोलने का निवेदन किया तो तहसीलदार दूदू ने माननीय न्यायालय में चाराजोंही करने की हिदायत दी, जिससे उक्त प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं। उक्त आराजी का आवंटन दिनांक 15/06/2002 को प्रार्थी के हक में हुआ है तथा वर्तमान में भी उक्त आराजी सिवायचक ही पडी हुयी है, अन्य किसी व्यक्ति को कोई आवंटन नहीं हुआ हैं तथा प्रार्थी के हक में गैरखातेदारी का नामान्तरकरण खोला जा चुका है, इसलिये न्यायहित में उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। उक्त आराजी वर्तमान में सिवायचक ही पड़ी हुयी है, जिसमें से प्रार्थी को हुये आवंटन दिनांक 15/06/2002 की आराजी का अप्रार्थी द्वारा किसी अन्य दीगर व्यक्ति को आवंटन कर प्रार्थी को बेदखल नहीं करने व राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, जिससे प्रार्थी के अधिकारों की रक्षा हो सकें। जिस बाबत प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा का भी पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 की विवादित आराजीयात से प्रार्थी को बेदखल नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थी को दिनांक 15/06/2002 को आवंटन हुई आराजी का अन्य किसी दीगर व्यक्ति को आवंटन की कार्यवाही नहीं करें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जारी की गयी। दिनांक 27/07/2015 को अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात आवंटन दिनांक 15/06/2002, जमाबन्दी सम्वत 2063 से 2063 वाके ग्राम मंमाणा, मिलान क्षैत्रफल व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब / तथ्यात्मक रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2063–2063 के अनुसार ना0स0 1646 दिनांक 17/07/2002 के द्वारा उक्त आराजी प्रार्थी सुरज्ञान पुत्र सुखा रैगर के नाम से गैर खातेदारी में दर्ज है जो आवंटन–पत्र दिनांक 15/06/2002 के अनुसार उक्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 832/1 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा का प्रार्थी को आवंटन होना पाया जाता हैं। मिलान क्षैत्रफल से साबिक खसरा नम्बर 832/1 के हाल खसरा नम्बर 1469, 1475 बनना पाये जाते हैं। इस प्रकार अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त आराजीयात प्रार्थी सुरज्ञान को आवंटन हुयी है एवं आवटन के पश्चात सुरज्ञान के हक में कब्जे के आधार पर गैरखातेदारी का नामान्तरकरण भी तस्दीक कर दिया गया, जिसके पश्चात से ही प्रार्थी उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से भलींभांति साबित है, मात्र प्रार्थी को खातेदारी अधिकार नही दिये गये हैं। चूंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा – प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल हैं, जिसको प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत दस्तावेंजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं, प्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है या नही? इस अहम बिन्दू का निस्तारण मूल वाद में होना तय है, लेकिन चूंकि वर्तमान में प्रार्थी के नाम से विवादित आराजी गैरखातेदारी में दर्ज है और प्रार्थी ने यह अदेंशा जताया है कि राजकीय कारकुनान प्रार्थी को बेदखल कर सकते है, इसलिये जब तक मूल वाद का गुणावगुण पर विनिश्चय नही हो जावें, तक अप्रार्थी को पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक होगा, इसलिये ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 832/1 मि रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा जिसके

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

हाल खसरा नम्बर 1469, 1475 कुल किता 02 कुल रकबा 2.17 हैक्टेयर वाके ग्राम मंमाणा, तहसील दूदू, जिला जयपुर से प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 30/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner